पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 263/2020

1. अरविन्द चौधरी पुत्र रणधीर जाति जाट निवासी बेर तह0 भादरा।

— वादी

बनाम

1. रणधीर पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी बेर तह0 भादरा।
2. डिम्पल पुत्री रणधीर जाति जाट निवासी बेर तह0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं0 149/139 के मु0न0 49 के किला न0 16/1, 17, 18, 23, 24, 25/1 मु0न0 50 के किला न0 19, 20/1, 21/1, 22, 23 मु0न0 66 के किला न0 1/1, 2, 3, 8, 9, 10/1, 11/1, 12, 13, 18, 19, 20/1, 21/1, 22, 23 मु0न0 67 किला न0 3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 13, 14, 15/1, 16/1, 17 ता 24, 25/1 मु0न0 90 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 16/1, 17 ता 20 मु0न0 91 के किला न0 1/1, 2, 9, 10/1, 11/1, 12, 20/1, 21/1 की कुल 17.295है0 जिसमें नहरी 17.1070है0 गै0मु0 रास्ता 0.0130है0 गै0मु0 खाला 0.1750है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 01 रणधीर के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रणधीर की वजाय वादी व प्रतिवादी स0 01 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 02 डिम्पल ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 अरविन्द चौधरी व प्रतिवादी सं0 01 रणधीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.2.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 263/2020

1. अरविन्द चौधरी पुत्र रणधीर जाति जाट निवासी बेर त0 भादरा।

:— वादी

ब नाम

1. रणधीर पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी बेर त0 भादरा।
2. डिम्पल पुत्री रणधीर जाति जाट निवासी बेर त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री सुरेन्द्र मील: प्रतिवादीगण

दिनांक : 26.02.21

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं0 149/139 के मु0न0 49 के किला न0 16/1, 17, 18, 23, 24, 25/1 मु0न0 50 के किला न0 19, 20/1, 21/1, 22, 23 मु0न0 66 के किला न0 1/1, 2, 3, 8, 9, 10/1, 11/1, 12, 13, 18, 19, 20/1, 21/1, 22, 23 मु0न0 67 किला न0 3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 13, 14, 15/1, 16/1, 17 ता 24, 25/1 मु0न0 90 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 16/1, 17 ता 20 मु0न0 91 के किला न0 1/1, 2, 9, 10/1, 11/1, 12, 20/1, 21/1 की कुल 17.295है0 जिसमें नहरी 17.1070है0 गै0मु0 रास्ता 0.0130है0 गै0मु0 खाला 0.1750है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 01 रणधीर के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा हरीराम की खातेदारी हुआ करती थी। हरीराम के देहान्त के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रणधीर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा [illegible] को वकील वादी द्वारा तर्क अंकित किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली मे साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु अरविन्द चौधरी पुत्र रणधीर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी चक 4 जेएसएल प्रदर्श 1 व पैतृक जमाबंदी प्रदर्श 2 तथा वारिस प्रमाण पत्र 3 प्रदर्शित करवाये।

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही चक 4 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी चक 4 जेएसएल प्रदर्श 1 व पैतृक जमाबंदी प्रदर्श 2 तथा वारिस प्रमाण पत्र 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 में वारिस प्रमाण के अनुसार रणधीर के एक पुत्र अरविन्द चौधरी व एक पुत्री डिम्पल तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है इस प्रकार वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी सं 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादीया स0 02 डिम्पल ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएल के खाता सं0 149/139 के मु0न0 49 के किला न0 16/1, 17, 18, 23, 24, 25/1 मु0न0 50 के किला न0 19, 20/1, 21/1, 22, 23 मु0न0 66 के किला न0 1/1, 2, 3, 8, 9, 10/1, 11/1, 12, 13, 18, 19, 20/1, 21/1, 22, 23 मु0न0 67 किला न0 3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 13, 14, 15/1, 16/1, 17 ता 24, 25/1 मु0न0 90 के किला न0 1 ता 4, 5/1, 6/1, 7 ता 14, 15/1, 16/1, 17 ता 20 मु0न0 91 के किला न0 1/1, 2, 9, 10/1, 11/1, 12, 20/1, 21/1 की कुल 17.295है0 जिसमें नहरी 17.1070है0 गै0मु0 रास्ता 0.0130है0 गै0मु0 खाला 0.1750है0 कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 01 रणधीर के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 रणधीर की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 01 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादीया स0 02 डिम्पल ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी स0 01 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी स0 01 अरविन्द चौधरी व प्रतिवादी सं0 01 रणधीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified

निर्णय आज दिनांक 26.02.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:34:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner